संख्या-920/2018/1570/22-2-2018-17(281)/2018

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 14 दिसम्बर, 2018***

विषय:- जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरिशंकर शुक्ल पुत्र श्री गुलाब शुक्ल, निवासी जनपद-गोरखपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31595/प्रोबे0-5-द0या0बैठक-07-08-2018 दिनांक 06.09.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरिशंकर शुक्ल पुत्र श्री गुलाब शुक्ल, जो-बिलरहा, थाना-बडहलगंज, जनपद-गोरखपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 11.07.1992 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फावडे मुक्का व ईट से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-173/1993 में भा0द0वि0 की धारा-336, 307, 302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर के आदेश दिनांक 20.10.1995 द्वारा दोषमुक्त किया गया। उक्त के विरूद्ध गर्वमेन्ट अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.03.2007 द्वारा धारा 304 पार्ट-1 के अन्तर्गत धारा 336 व 323 में दोषी मानते हुए 10 वर्ष साश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 05.04.2017 द्वारा धारा 304 पार्ट-1, 307, 323, 336 भा0द0वि0 के अन्तर्गत 10 वर्ष कारावास की सजा को लघुकृत करते हुए 06 वर्ष के कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 07.03.2018 तक 01 वर्ष 09 माह 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 02 वर्ष 00 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी हरिशंकर शुक्ल (बन्दी संख्या-67/2017) पुत्र श्री गुलाब शुक्ल, निवासी जनपद-गोरखपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-920/2018/1570(1)/22-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गोरखपुर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in